

[This question paper contains 14 printed pages.]

3428

Your Roll No.

LL.B. / I Term

BS

Paper LB-104 – CRIMINAL LAW – I (NC)

(Specific Crimes)

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 100

(Write your Roll No. on the top immediately
on receipt of this question paper.)

Note :- Answers may be written either in English or in
Hindi; but the same medium should be used
throughout the paper.

टिप्पणी :- इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए;
लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Answer any five questions.

All questions are of equal value.

Refer to relevant legal provisions and
Judicial decisions in support of your answer.

किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Ra-One with intent to cause severe bodily injuries on the arms and legs of Sham gave him fifteen injuries on arms and legs with a heavy stick which resulted in multiple fractures on arms and legs of Sham and

P.T.O.

internal bleeding. Sham dies after three days from the date he sustained these injuries at the hands of Ra-One. After investigation Ra-One is being tried for the offence of murder of Sham under Section 302 IPC. Discuss with the help of legal provisions and decided cases the criminality of Ra-One under IPC.

रा-वन ने हाथों व पैरों पर गम्भीर चोट पहुँचाने के आशय से श्याम के हाथ व पैरों पर एक भारी डन्डे से पन्द्रह चोटें पहुँचाई जिसके परिणामस्वरूप श्याम के हाथ व पैरों में बहुखण्ड अस्थिपंजर (multiple fracture) तथा आन्तरिक रक्तस्राव हुआ। श्याम, रा-वन के द्वारा दी गई चोटों की तिथि के तीन दिन बाद मर जाता है। अन्वेषण के पश्चात्, रा-वन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत श्याम की हत्या के अपराध के लिए विचारण किया गया है। विधिक प्रावधानों की सहायता से विवेचना कीजिए तथा भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत रा-वन की आपराधिकता निश्चित कीजिए।

2. Anita got engaged to Ajay. After their engagement they met on number of occasions with a view to understand each other. In one of such meeting Anita was frank to tell Ajay that one Alok was good friend of her and she would have opted for Alok if her parents had given her any choice in deciding her life partner. However, she added that she respected the decision of her parents in the matter and had no grudge. During further discussions between Anita and Ajay, it turned out that Alok was a class fellow of Ajay and had been quite popular among girls and had

the reputation of developing intimacy with girls being handsome with affable personality.

One day Ajay found Alok and Anita having a cup of coffee in a restaurant where Alok was holding hands of Anita. In fact Alok was only trying to read the palms of Anita. After some day Ajay again found Anita in the company of Alok and some other friends in a restaurant while she was quietly talking to Alok with affection most of the time. Ajay suspected that there was something more than friendship between Anita and Alok. Ajay happened to meet Alok in the market Next day. He enquired from Alok as to how close he was with Anita and whether he knew that she was already engaged to him. Alok retorted that he knew that she was engaged to him but he was confident that she was still closer to him than to Ajay which enraged him. Ajay immediately laid his hand on a Knife lying on a fruit chat stall nearby and stabbed Alok number of times shouting that he could not be allowed to seduce his fiancée. Alok died soon thereafter because of the injuries caused by Ajay. Ajay is being prosecuted for murder U/S 302 IPC. He pleads grave and sudden provocation in his defence. Will Ajay succeed in his defence ?

अनिता की अजय से सगाई हुई ! सगाई के पश्चात् वे एक-दूसरे को भली भाँति समझने की दृष्टि से कई अवसरों पर मिले । इस प्रकार की एक मुलाकात में अनिता ने अजय को खुल कर बताया कि आलोक

उसका अच्छा मित्र था और यदि उसके घरवालों ने उसे अपने जीवनसाथी के चुनाव का निर्णय लेने दिया होता तो उसने आलोक को चुना होता। जबकि, वह उस मामले में अपने माता-पिता के निर्णय का आदर करती है तथा उसे कोई द्वेष नहीं है। अजय व अनिता के मध्य अग्रिम विचार-विमर्श के दौरान, यह पता चला की आलोक, अजय का सहपाठी था तथा लड़कियों के मध्य काफी प्रचलित था और मिलनसार व्यक्तित्व का मनोहर व्यक्ति होने से लड़कियों के साथ अंतरंगता विकसित करने में ख्याति प्राप्त था।

एक दिन अजय ने आलोक व अनिता को एक रेस्तराँ में कॉफी पीते देखा जहाँ आलोक अनिता का हाथ पकड़े हुए था। वास्तव में आलोक केवल अनिता की हथेली पढ़ने की कोशिश कर रहा था। कुछ दिन पश्चात् अजय ने फिर अनिता को आलोक व कुछ दूसरे मित्रों की संगति में पाया जबकि वह अधिकतर समय आलोक से शान्ति से स्नेहपूर्वक बातें कर रही थी। अजय को शक हुआ कि अनिता व आलोक के मध्य मित्रता से अधिक कुछ है। दूसरे दिन अजय का आलोक से बाजार में मिलना हुआ। उसने आलोक से पता किया कि वह अनिता के कितना नजदीक है कि क्या वह जानता है कि पहले ही उसकी सगाई उससे (अजय) से हो चुकी है। आलोक ने जवाब दिया कि वह जानता था कि उसकी (अनिता) सगाई उससे हो गई थी परन्तु उसे भरोसा था कि वह अभी भी अजय की तुलना में उसके निकट है जिससे वह (अजय) गुस्सा हो उठा। अजय ने अचानक पास के फल (फ्रूट चाट) की छोटी दुकान में फड़े चकू को उठाया और कई बार आलोक के शरीर में भोका (घुसा देना) यह चीखते हुए कि उसे उसकी मंगेतर को प्रलोभित करने की अनुमति नहीं दे सकता। अजय का भारतीय

दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन अभियोजन किया गया है। अपने बचाव में उसने अचानक एवं गम्भीर प्रकोपन का अभिवचन किया। क्या अजय अपने बचाव में सफल होगा ?

3. Rajak, a senior student, called some juniors to his room for ragging them and commanded them that they should never fail to obey their seniors and any violation of his command will entail serious consequences. Rajak found that Rupal was indifferent and unresponsive to his commands. In fact, Rupal was indifferent due to exhaustion resulting from serious depression and liver ailment for which he was undergoing medical treatment. Rajak commanded Rupal to run the whole ground of the college in fifteen minutes without any rest. He made it clear to Rupal that if he failed to obey his command he would be given severe beating. Rupal pleaded for forgiveness and informed Rajak that he was suffering from serious depression and live disorder. He further informed Rajak that he has been advised by his doctors not to run and, as far as possible, take rest. Rajak did not listen and forced Rupal to run as directed. Rupal ran as directed but collapsed soon thereafter. He could not be revived. Discuss the criminal liability of Rajak.

रजाक, एक ज्येष्ठ विद्यार्थी ने रैगिंग के लिए कुछ अवरो (जूनियर) को अपने कमरे में बुलाया और आदेश दिया कि उन्हें अपने ज्येष्ठों (सीनियरों) का आदर करना कभी नहीं भूलना चाहिए तथा उसके आदेश

का किसी प्रकार का हनन गम्भीर परिणामों को जन्म देगा। रज़ाक ने पाया कि रूपल अभिन्न तथा उसके आदेशों के प्रति असंवेदनशील था। वास्तव में रूपल गम्भीर अवसाद के परिणामस्वरूप निःशेषण (exhaustion) के कारण उदासीन था जिसके लिए उसका चिकित्सीय उपचार चल रहा था। रज़ाक ने रूपल को पन्द्रह मिनट में बिना रुके कालेज के मैदान का पूरा चक्कर लगाने का आदेश दिया। उसने रूपल को स्पष्ट किया की अगर वह उसके आदेश का पालन करने में विफल रहा तो उसे भयानक मार पड़ेगी। रूपल ने क्षमादान के लिए प्रार्थना की तथा रज़ाक को बताया कि वह गम्भीर अवसाद व विकार से ग्रसित है। उसने आगे रज़ाक को बताया कि उसे उसके डाक्टरों द्वारा ना भागने तथा जितना संभव हो आराम करने की सलाह दी गई है। रज़ाक ने नहीं सुना तथा रूपल को निर्देशित दौड़ के लिए बाध्य किया। रूपल निर्देशानुसार दौड़ा परन्तु जल्द ही कुछ देर पश्चात् गिर गया। रज़ाक के आपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिए।

4. Radha, aged 15 years, and Raju, aged 16 years, were neighbours. They would often talk to each other from their respective roof tops. They were very fond of each other. Radha was keen to marry Raju but he would persuade her to wait till they attained the age of majority and become economically independent. The intimacy between the two came to the knowledge of their parents. Parents of Radha planned to send her to a distant place for her studies so that she would not be able to meet Raju. But before the parents of Radha could execute this plan, Radha came to know

about it and informed Raju of these developments and wanted to leave her parental home. She persuaded Raju to meet her in the market where she would discuss the whole matter in detail with him. They met in the market as suggested by Radha. Radha showed her keenness to go away from her parental home in the meeting and sought help of Raju for which she begged of him. Looking at her helpless state, Raju and Radha decided to go to Bombay for sometime where they would explore the possibility of taking some Job and simultaneously continue their study. They boarded a train to go to Bombay. Raju was arrested by the police on the complaint of Radha's parents before they could reach Bombay. Raju is being tried for the offence of kidnapping of Radha from the keeping of her lawful guardians under S363 IPC. Decide whether the prosecution can succeed in this case.

15 वर्षीय राधा व 16 वर्षीय राजू पड़ोसी थे। वे अपनी छतों पर से अक्सर एक-दूसरे से बातें किया करते थे। वे एक दूसरे को अत्यधिक चाहते थे। राधा राजू से विवाह करने के लिए उत्साहित थी परन्तु वह उसे जब तक कि वे व्यस्कता की आयु प्राप्त न कर ले तथा आर्थिक स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए सम्मत (राजी) करे। दोनों के मध्य की घनिष्ठता उनके माता-पिता के ज्ञान में आयी। राधा के माता-पिता ने उसे पढ़ाई के लिए दूर स्थान में भेजने की योजना बनाई जिससे की वह राजू से न मिल सके। परन्तु इससे पहले की राधा के

माता-पिता योजना को अमल में लाते, राधा को इसकी जानकारी हो गई तथा उसने राजू को इन विकासों की जानकारी दी तथा पैतृक घर को छोड़ना चाहा। उसने राजू को बाजार में मिलने के लिए सम्मत किया जहाँ वह उसके साथ पूरे मामले को विस्तार से विचार-विमर्श करेगी। वे राधा के सुझावानुसार बाजार में मिले। राधा ने मुलाकात में उसे अपने पैतृक घर से दूर जाने की उत्सुकता जताई तथा इसके लिए गिड़गिड़ाते हुए राजू की सहायता माँगी। उसकी दयनीय स्थिति को देखकर, राजू व राधा ने कुछ समय के लिए बम्बई जाने का निश्चय किया वे किसी नौकरी के अवसर (संभव्यता) की खोज करेंगे तथा साथ ही अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। वे बम्बई जाने के लिए गाड़ी पर चढ़े। बम्बई पहुँचने से पहले राधा के माता-पिता की शिकायत पर राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अन्तर्गत राधा को विधिक संरक्षकता से व्यपहरण करने के अपराध का विचारण किया गया है। निर्णीत कीजिए कि क्या अभियोजन इस वाद में सफल होगा ?

5. M, a young girl of 16 years, having lost her both parents lived with her brother G. M developed relationship with A and they decided to get married. G filed a report with the police that A had kidnapped M. The police swung into action and brought M, G and A to the police station at 8 P.M. when their statements were recorded. After recording the statements, the Inquiry officer left the station. When M, G and A started leaving the police station at around 9.30 PM, T, a head constable, and P, a constable,

directed that M remain at police station for further investigation. Immediately, thereafter T and P took M into a room. T loosened her underwear, lit a torch and stared at her private parts. He then felled her on the floor in the room and had sexual intercourse with her. P was impatient to have sexual intercourse with M but could not do so as there were wide protests from G and A outside as a result of which a crowd had collected outside the police station.

The crowd broke open the gate of the room and apprehended T and P. It was found that P had already unbuttoned his trousers. While coming out of the police station, M cried repeatedly that she had been subjected rape by T. She further cried that had she not been rescued by the people P too would have raped her. Accordingly, first information report was filed against T and P for the offence of rape. After investigation T and P are being tried for the offence of rape u/s 376(2)(a) & (g) of IPC.

The defence of T and P at the trial, interalia, is that it was M who had shown interest in them and that she had voluntarily played back and shown no resistance when T and P purposed sexual intercourse to her. Further, P's defence is that he cannot be held guilty as he had no sexual intercourse with her. Discuss whether the prosecution can succeed in proving the guilt of the accused P & T under sections 376(2)(a) & (g) of IPC.

P.T.O.

M, 16 वर्षीय नवयुवती, अपने माता-पिता दोनों को खोने के पश्चात् अपने भाई G के साथ रहती थी। M ने A के साथ सम्बन्ध विकसित किए तथा उन्होंने विवाह करने का निश्चय किया। G ने पुलिस में प्रतिवेदन (रिपोर्ट लिखाई) किया कि A ने M का व्यपहरण किया है। पुलिस कार्यशील हुई और रात्रि 8 बजे M, G तथा A को पुलिस स्टेशन लाया गया जब उनके कथनों का अभिलेखन किया गया। अभिलेखन के पश्चात्, जाँच अधिकारी स्टेशन से चला गया। जब M, G तथा A करीब रात्रि 9:30 बजे पुलिस स्टेशन से जाने लगे तब T, मुख्य सिपाही तथा P, सिपाही ने निर्देशित किया कि M आगे के अन्वेषण के लिए पुलिस स्टेशन में रहेगी। अचानक तत्पश्चात् T व P, M को एक कमरे में ले गए। T ने उसकी अगिया को उतारा, टार्च को जलाया तथा उसके गुप्तांगों को घूरने लगा। उसने तब उसे कमरे में फर्श पर लिटाया तथा उसके साथ सम्भोग किया। P, M के साथ सम्भोग करने के लिए अधीर था परन्तु बाहर G तथा A के कड़े विरोध के कारण ऐसा नहीं कर सका जिसके परिणामस्वरूप पुलिस स्टेशन के बाहर भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ ने कमरे का दरवाजा तोड़ डाला तथा T तथा P को बंधक बना लिया। यह पाया कि P पहले से अपनी पतलून उतार चुका था। पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते समय M बारम्बार चीख रही थी कि T के द्वारा उसका बलात्कार किया गया। उसने आगे चिल्लाया कि यदि उसे लोगों के द्वारा नहीं छोड़ा गया होता तो P ने भी उसका बलात्कार किया होता। तदानुसार, T तथा P के विरुद्ध बलात्कार के अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। अन्वेषण के पश्चात् T तथा P का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(a) तथा (g) के अधीन बलात्कार के अपराध के लिए विचारण किया गया।

विचारण के समय T तथा P का बचाव अन्य बातों के साथ यह था कि वह M थी जिसने उनमें रुचि दिखाई तथा कि वह स्वेच्छयापूर्वक वापस रूकी और जब T तथा P ने उससे सम्भोग का प्रस्ताव रखा तो कोई विरोध नहीं जताया। P ने अपने बचाव में आगे कहा कि वह दोषी नहीं हो सकता जैसे की उसने उसके साथ को सम्भोग नहीं किया। विवेचना कीजिए कि क्या अभियोजन अभियुक्त P तथा T का भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376(2)(a) तथा (g) के अधीन दोष साबित करने में सफल हो पाएगा।

6. (a) "Distinction between death caused by rash act u/s 304A and culpable Homicide not amounting to murder under S 304 Part II IPC is fine but if overlooked can result in grave injustice." Discuss.

(b) Rashid pawned his watch to Zahid. Zahid kept the watch in his drawer of his table in his office. Rashid tried his best to arrange for the money but could not repay Zahid. Rashid being in great need of his watch he took it out of the drawer of Zahid in his absence and without his consent. Zahid want to proceed against Rashid for the offence of theft u/s 379 of IPC. He seeks your advice in the matter based on legal provisions and judicial decisions. Advise Zahid in the matter.

(क) "धारा 304A के अधीन अविवेकीपूर्ण कार्य द्वारा मृत्यु तथा धारा 304 भाग II भारतीय दण्ड संहिता के अधीन हत्या की श्रेणी में न आने वाला मानव-वध में सूक्ष्म भेद है परन्तु यदि अनदेखी की गई तो घोर अन्याय में परिणित होगा।" विवेचना कीजिए।

(ख) राशिद ने अपनी घड़ी जाहिद के पास गिरवी रखी। जाहिद ने घड़ी अपने कार्यालय के मेज की दराज में रख दी। राशिद ने पैसे जुटाने के लिए जी-तोड़ प्रयास किया परन्तु वह जाहिद को पैसे नहीं लौटा सका। राशिद ने घड़ी की अत्याधिक आवश्यकता के कारण जाहिद की अनुपस्थिति में घड़ी को दराज में से बिना उसकी सहमति के निकाल लिया। जाहिद राशिद के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अधीन मुकदमा चलाना चाहता है। वह इस मामले में विधिक उपबन्धों व न्यायिक निर्णयों के आधार पर आपकी राय चाहता है। जाहिद को इस मामले में सलाह दीजिए।

7. (a) Discuss the legal infirmities that the Supreme Court of India found in the approach of the high court in *E.K. Chandra Senan V. State of Kerela* (1995)2 SCC 99 and bring out the salient aspects of the judgement of the Supreme Court having bearing distinction between voluntarily causing of grievous hurt and culpable homicide.
- (b) Ramu applied to a state university for permission to appear at the M.A. examination as a private candidate representing that he was a graduate having obtained his B.A. degree three years earlier and he has been teaching in a certain school. In support of his application he attached certain certificates purported to be from the head master of the school. The university authorities gave permission to Ramu to appear for the M.A.

examination. He appeared in the examination and was declared successful. Later on, the university came to know that the certificates produced by Ramu were false and that he was neither a graduate nor a teacher. The university authorities cancelled his result after notice to him. The university authorities want to proceed against Ramu under IPC and seek your legal opinion on the culpability, if any, on the part of Ramu under IPC. Advise the University on the subject.

(क) ई० के० चन्द्रसेनन बनाम केरल राज्य (1995) 2 SCC 99 में हाई कोर्ट के दृष्टिकोण में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पायी गई विधिक अशक्तता की विवेचना कीजिए तथा स्वेच्छयापूर्वक कारित गम्भीर चोट तथा मानव-वध के मध्य भेद पर आधारित कर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विशिष्ट पहलुओं को उजागर कीजिए।

(ख) रामू ने एक राज्य विश्वविद्यालय में एम० ए० परीक्षा में व्यक्तिगत छात्र के रूप में प्रस्तुत होने की अनुमति के लिए आवेदन किया यह निरूपित करते हुए कि वह तीन वर्ष पूर्व बी० ए० की डिग्री प्राप्त स्नातक था तथा वह किसी विद्यालय में पढ़ा रहा है। अपने आवेदन के समर्थन में उसने स्कूल के हेडमास्टर से प्राप्त कुछ प्रमाण-पत्र संलग्न किये। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने रामू को एम० ए० परीक्षा में प्रस्तुत होने की अनुमति प्रदान की। वह परीक्षा में बैठा तथा सफल घोषित किया गया। बाद में, विश्वविद्यालय को पता चला कि उसके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र असत्य थे तथा न

तो वह स्नातक था और न ही शिक्षक। विश्वविद्यालय प्राधिकारियों ने उसे सूचना देने के पश्चात् उसके परीक्षाफल को निरस्त कर दिया। विश्वविद्यालय प्राधिकारी रामू के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अधीन वाद लाना चाहते हैं तथा भारतीय दण्ड संहिता के अधीन रामू की ओर से यदि कोई हो तो उसकी सदोषता पर आपकी विधिक सलाह चाहते हैं। विश्वविद्यालय को इस विषय पर सलाह दीजिए।

8. Write short notes on any two of the following :

- (a) Explain and illustrate 'distinction between criminal unappropriation and criminal breach of trust
- (b) Section 304B and Section 498A of IPC are not mutually exclusive
- (c) Bring out clearly the distinction between the offences of theft and extortion under Indian Penal Code, 1860

निम्न में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-

- (क) आपराधिक दुर्विनियोग तथा आपराधिक न्यास भंग के मध्य भेद को उद्दाहरित तथा व्याख्यित कीजिए।
- (ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304B तथा 498A पारास्परिक एकान्तिक नहीं है।
- (ग) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अधीन चोरी तथा अपकर्षण के मध्य भेद को स्पष्ट कीजिए।